


नम्बर
अहकाम
हुकम
में

प्रमुलाम कनाम रोड
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल
वाद 201/2022 (2022)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

082
2/23
पत्रपत्नी पेश हुई। अखिलवत्ता उग्रय पक्ष
उपस्थित। बहल प्रकरण उग्रय पक्ष हुकी
गई। अखिलवत्ता उग्रय पक्ष ने निवेदन
किया कि प्रकरण में दिनांक 01/09/2022 को
प्रस्तुत सबीनामा अनुसार प्रकरण डिफ्री
किए जाने का आदेश फारमावे। हमने
पत्रपत्नी का अजलाका अखिलवत्ता का
अखिलवत्ता उग्रय पक्ष की वक्त पा गहनता
से भगत किया। संक्षेप में विवरण प्रकरण
इस प्रकार है कि मृतक वारी प्रमुलाम
पिता हेमराज कुम्हार नि० अजलाका ज
विष्णु परिवारिक वाद पत्र इस आशय की
प्रस्तुत किया कि मोगा अजलाका घण्टे
लेने लकीर चित्तोजार स्त्रित अजराजी
संख्या 1917, 1918, 1919, 1920, 1922, 1923
कील 6 कुल रकम 3.68 है। एके अजराजी
नम्बर 1945 की रकम 0.76 है। का 1/2 हिस्सा
वारी को अपनी पित की वसीयत द्वारा
प्राप्त हुई है। वारी ने पित की मृत्यु
के पश्चात नामान्तरकण मुलवाने के
लिए लकीर मोगा-चित्तोजार के घण्टे प्रकीर्ण
पत्र प्रस्तुत किया परन्तु - वसीयत के
अप्यार पर विराएती नामान्तरकण वही शोभने
ले वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र
दिनांक 01/2/2026 को लकीर किया जाकर
डिफ्री किया गया। इकर निवेद एके डिफ्री
के विष्णु परिवारी संख्या 4 वाली पित
हेमराज कुम्हार द्वारा का नामान्तरकण RSI
चित्तोजार में अपील प्रस्तुत की। अपील
नामान्तरकण द्वारा का अपने प्रकरण संख्या
... मालिका

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक फलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तोजार

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम अहल हुकम नं.
	<p> 20/9/2016 से रिजॉक्ट 12/1/2017 को पारित निर्देशों से इन न्यायालयों के निर्देश एवं डिक्ली 01/2/2016 को निरस्त कर प्रकाश प्रतियेचित का पुनः सुनवाई के निर्देश दिए। मा. RAA चित्तौड़गढ़ के उक्त निर्देश के विरुद्ध राज्य व्ज मस्ट्रल वाज्ज अजमेर में अपील प्रस्तुत हुई जो रिजॉक्ट 07/6/2022 को हाइस कोर्ट में खस देवी में खसरी ज (हुड्डे) सिविल प्रकाश मा. न्यायालय RAA चित्तौड़गढ़ के निर्देश रिजॉक्ट 12/1/2017 अजमेर पुनः जे किया गया। वही पुनः की मृत्यु हो जाने से उनके वारिस वारी सं. 1/1 से 1/7 को रेकर्ड पर लिख गया उसी अनुसार जेवियेचित अजमेर प्रस्तुत हुआ। </p> <p> रिजॉक्ट 01/9/2022 को वारीगण एवं प्रतिवारीगण सं. 1 से 5 के रजिनामा प्रस्तुत कर वार व वारीगण का के पक्ष में डिक्ली किए जाने के अखत निवेदन किया। प्रतिवारी संख्या 6 से 9 को एवं 10 को रजाल पक्षवार है। </p> <p> अतः हल्क रबीनामा वारीगण का वार पत्र लीका। किया जाकर मौज्ज अण्डारिया पण्ड. लेती रहनील चित्तौड़गढ़ जे अखरी संख्या 1917, 1918, 1919, 1920, 1922 1923 कील 6 कुल रफस 3.66 है एवं अखरी संख्या 1945 की रफस 0.76 में अखरी हेमराज विला किशण कुम्हार का निहित एक हिस्सा वारीगण के ववादेदारी का घोषित किया जाकर राजाल रेकर्ड में वारीगण के नाम अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। डिक्ली जारी हो। निवेद्य निरखया जाकर जे रजालास जुनाम बाण। पण्डारमी के लाल शुभा वीम नमर ले कम हो। </p>	<p>में,</p> <p>तक वार्द</p> <p>जला चि</p> <p>/1 दि</p> <p>म</p> <p>1/2 र</p> <p>1/3</p> <p>1/4</p> <p>1/</p> <p>1</p>
	<p>  (रामचन्द्र प्रसाद) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ </p>	

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

132

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ बईजलास
श्री रामचन्द्र खटीक उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़

1. मृतक वादी प्रभुलाल पिता हेमराज कुम्हार नि.भण्डारिया के. बजाए -
- 1/1. दिनेश पिता स्व. प्रभुलाल कुम्हार नि.भण्डारिया तह.व जिला चित्तौड़गढ़
- 1/2. सीता पुत्री स्व. प्रभुलाल कुम्हार नि.भण्डारिया तह.व जिला चित्तौड़गढ़
- 1/3. मंजू पुत्री स्व. प्रभुलाल कुम्हार नि.भण्डारिया तह.व जिला चित्तौड़गढ़
- 1/4. पप्पू उर्फ प्रेम पुत्री स्व. प्रभुलाल कुम्हार नि.भण्डारिया तह.व जिला चित्तौड़गढ़
- 1/5. सीमा पुत्री स्व. प्रभुलाल कुम्हार नि.भण्डारिया तह.व जिला चित्तौड़गढ़
- 1/6. माया पुत्री स्व. प्रभुलाल कुम्हार नि.भण्डारिया तह.व जिला चित्तौड़गढ़
- 1/7. घीसी बाई पत्नी स्व. प्रभुलाल कुम्हार नि.भण्डारिया तह.व जिला चित्तौड़गढ़

-वादीगण

बनाम

1. रोडी पुत्री हेमराज कुम्हार नि.जाफरखेडा तह.व जिला चित्तौड़गढ़
2. केसर पुत्री हेमराज कुम्हार नि.जाफरखेडा तह.व जिला चित्तौड़गढ़
3. नर्बदा पुत्री हेमराज कुम्हार नि.जाफरखेडा तह.व जिला चित्तौड़गढ़
4. नानी पुत्री हेमराज कुम्हार नि.जाफरखेडा तह.व जिला चित्तौड़गढ़
5. अण्ठी पुत्री हेमराज कुम्हार नि.जाफरखेडा तह.व जिला चित्तौड़गढ़
6. नानूराम पिता किशोर कुम्हार नि.जाफरखेडा तह.व जिला चित्तौड़गढ़
7. शांति बाई पुत्री किशोर कुम्हार नि.जाफरखेडा तह.व जिला चित्तौड़गढ़
8. सुगना पुत्री किशोर कुम्हार नि.जाफरखेडा तह.व जिला चित्तौड़गढ़
9. ग्यारसी बाई पुत्री किशोर कुम्हार नि.जाफरखेडा तह.व जिला चित्तौड़गढ़
10. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब चित्तौड़गढ़

-प्रतिवादीगण

प्र.स. 201/2022 (GCMS 2022/634)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण की ओर से वकील श्री राकेश पुरी की, और प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री कमलेश धाकड की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि हस्ब राजीनामा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भण्डारिया प.ह.सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी संख्या 1917, 1918, 1919, 1920, 1922, 1923 कीता 6 कुल रकबा 3.66 हे. एवं आराजी संख्या 1945 मी. रकबा 0.76 हे. हेमराज पिता किशना कुम्हार का निहित हक हिस्सा वादीगण के खातेदारी का घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी जावे। यह आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़